दिनांक 02.07.2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

ओवरब्रिज किनारे कर रहे थे अतिक्रमण, निगम की जेसीबी ने किया ध्वस्त

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के नेहरू नगर चैक के पास ओवरब्रिज के किनारे अतिक्रमण करने वाले खिलाफ तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। बिना कोई अनुमति एक होटल के बाहर दीवाल बनाकर किया जा रहा था तथा प्रियदर्शनी परिसर स्थिति पत्रकार काॅलोनी में भी झोपड़ी बनाकर व्यवसाय करने वाले को निगम की टीम ने बेदखल किया। निगम क्षेत्र में कहीं भी अवैध कब्जा या अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने निर्देश दिए है। आदेश के परिपालन में जोन 01 नेहरू नगर की टीम आज अवैध रूप से होटल के बाहर रूम के लिए बनाए जा रहे रहे दिवाल को जेसीबी के माध्यम तोड़ा गया।

जोन 01 के एआरओ विनोद चंद्राकर ने बताया कि नेहरू नगर चैक के पास बने ओवरब्रिज के किनारे एक होटल संचाललित है जिसके द्वारा ब्रिज के पिल्लर के पास बिना कोई परमिशन अतिक्रमण करते हुए कमरा निर्माण करने दिवाला बनाया जा रहा था , जिसे सूचना मिलने पर जोन 01 के आयुक्त सुनील अग्रहरि के निर्देश पर राजस्व विभाग का अमला मौके पर पहुंचा और 6 फीट उंचे तथा 10 फीट लंबा बनाए गए दीवाल को जेसीबी के माध्यम से तोड़फोड़ की कार्यवाही की गई। निगम की टीम ने समझाइश दिया कि दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इसके अलावा प्रियदर्शनी परिसर स्थित पत्रकार काॅलोनी में बांस बल्ली से झोपड़ीनुमा कमरा बनाकर बांस का स्टाॅक रखकर व्यवसाय करने वाले को भी सामाग्री खाली कराकर बेदखल कराया गया। अवैध कब्जे से बेदखली की कार्यवाही के दौरान जोन 01 की राजस्व विभाग की टीम एवं कर्मचारी उपस्थित थे।